बिहार विधान परिषद् दैनिक विवरणिका

संख्या- 14 सत्र- 185वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
सोमवार, दिनांक 20.3.2017 ई.

माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह की
अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 5.00 अपराह्न तक

1. कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

सदन की कार्यवाही आरंभ होते की माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार ने कार्यस्थगन प्रस्ताव की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहा, जिसका समर्थन माननीय नेता, प्रतिपक्ष, श्री सुशील कुमार मोदी ने भी किया तथा इसके समर्थन में विपक्ष के माननीय सदस्यगण जोर-जोर से बोलने लगे, जिसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मुख्य सचेतक, श्री रजनीश कुमार से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत कार्यस्थगन प्रस्तावों की अस्वीकृति के आधार संख्या-4, 5, 9, 17 एवं 26 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है। अभी प्रश्न काल चलने दीजिए।

2. प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- अ-57, 136, 137, 139, 140, 141 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 138 स्थगित हुआ।

प्रश्न संख्या- 142, 143, 146 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 144, 145 अनागत हुए।

आसन का नियमन

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 138 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि इसको जरा ठीक से देख लीजिए, इसको स्थगित कर देते हैं, इसपर माननीय मंत्री ने कहा कि हम फिर से समीक्षा करा लेते हैं।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274 उत्तरित हुए।

प्रश्न संख्या- 272 स्थगित हुआ।

प्रश्न संख्या- 275, 277, 278, 280, 281, 284, 290, 291, 292 सदन पटल पर रखे गए।

प्रश्न संख्या- 276, 279, 282, 283, 285, 286, 287, 288, 289 अनागत हुए।

आसन का नियमन

तारांकित प्रश्न संख्या- 264 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्यों से आग्रह है कि जब माननीय सदन नेता या माननीय नेता, प्रतिपक्ष जब बोलने लगें तो उस समय थोड़ी शांति रहनी चाहिए, ये सदन की परंपरा है। जो जवाब दिया जाता है, उसे सुनना चाहिए, उससे भटकने की कोई जरूरत नहीं है, भटकने से उत्तेजना हो जाएगी। प्रश्नोत्तर काल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, यह सब पर लागू होता है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री, श्री श्रवण कुमार ने भी इसका समर्थन किया।

तारांकित प्रश्न संख्या- 269 पर सदन की भावना को देखते हुए नियमन देने की कृपा की गयी कि ठीक है, फिर से देख लीजियेगा ।

3. परिनियत कार्य

माननीय मंत्री, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा बिहार विधान मंडल (सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2017 की एक प्रति सदन की मेज पर रखा गया।

4. शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान निम्नांकित माननीय सदस्यों ने विभिन्न विषयों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री सच्चिदानन्द राय
2. श्री राधाचरण साह
3. श्री कृष्ण कुमार सिंह
4. प्रो. नवल किशोर यादव

आसन का निदेश

माननीय सदस्य, श्री सच्चिदानन्द राय की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि ठीक है, दे दीजिए।

माननीय सदस्य, श्री राधाचरण साह की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि ठीक है, दे दीजिए।

माननीय सदस्य, श्री कृष्ण कुमार सिंह की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि ठीक है, दे दीजिए।

माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव की शून्यकाल की सूचना का समर्थन माननीय सदस्य, श्री नीरज कुमार, प्रो. संजय कुमार सिंह ने भी किया। इसपर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि ठीक है, दे दीजिए। सरकार से आग्रह है कि यह महत्वपूर्ण विषय है, अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर उनसे वार्ता करे।

कार्यस्थगन प्रस्ताव के संबंध में आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

पुन: माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार ने अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहा, जिसके समर्थन में माननीय नेता, प्रतिपक्ष, श्री सुशील कुमार मोदी एवं माननीय सदस्यगण, श्री मंगल पाण्डेय एवं श्री रजनीश कुमार को छोड़कर विरोधी दल के सभी माननीय सदस्यगण सदन वेश्म में आकर जोर-जोर से बोलने लगे। आसन से नियमन दिया गया कि इसको अस्वीकृत कर दिया गया है इसलिए इसपर चर्चा नहीं होगी। आपलोगों की बात आ गई, ध्यानाकर्षण चलने दीजिए परन्तु यथावत् शोरगुल जारी रहा। अंतत: सदन की कार्यवाही 2.30 अपराह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई।

(अंतराल)

(इस अवसर पर माननीय उप सभापति महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

5. **आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना**

1. सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय सदस्य, प्रो.नवल किशोर यादव ने सारण के शिक्षकों को 33 महीने से वेतन नहीं मिलने के संबंध में सूचना के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया, जिसपर आसन से नियमन देने की कृपा की गई कि आपकी भावना से सरकार

अवगत हो गई, सरकार इसको देखेगी और संज्ञान में लेगी। आप सदन पटल पर कागजात रख दें, परन्तु माननीय सदस्य द्वारा कोई कागजात सदन पटल पर नहीं रखा गया।

2. पुन: माननीय सदस्या, श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव ने प्रश्नों के संबंध में आसन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहा, जिसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि यह सदन का मैटर नहीं है आप सभी माननीय सदस्यों से बात कीजिए, सभी माननीय सदस्य, यदि सहयोग करेंगे तो प्रश्नोत्तर के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिलेगा।

6. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, प्रो. संजय कुमार सिंह द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा नियुक्त कार्यपालक सहायक के पैनल से राज्य के सभी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, डा. मदन मोहन झा ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

आसन से नियमन देने की कृपा की गई कि ठीक है, माननीय मंत्री इसे गंभीरता से लेंगे।

2. माननीय सदस्य, श्री केदारनाथ पाण्डेय द्वारा भवन निर्माण विभाग में अतिरिक्त समायोजित 8 सहायक विद्युत अभियंताओं एवं 2 कनीय विद्युत अभियंताओं की सेवा उनके पैतृक विभाग को वापस करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

3. माननीय सदस्य, सर्वश्री सूरजनन्दन प्रसाद, सोनेलाल मेहता एवं विजय कुमार मिश्र द्वारा कार्यपालक सहायकों के वेतनमान के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

4. माननीय सदस्य, श्री केदारनाथ पाण्डेय द्वारा गया दास कबीर उच्च विद्यालय, रसीदचक, सीवान के नियोजित शिक्षक राजेन्द्र राम की हुई हत्या के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

आसन से नियमन देने की कृपा की गई कि सरकार की ओर से कहा गया कि कार्रवाई की जाएगी, तो आश्वासन हो गया।

5. माननीय सदस्य, सर्वश्री संजय कुमार सिंह, देवेश चन्द्र ठाकुर एवं केदारनाथ पाण्डेय द्वारा वित्त रहित शिक्षण संस्थानों की परिसम्पत्तियों एवं आय के आंतरिक स्रोतों की जानकारी प्राप्त कर कार्यरत कर्मियों के वेतनमान के अनुसार घाटानुदान देने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री अशोक चौधरी ने वक्तव्य दिया।

7. **ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य**

1. माननीय सदस्य, श्री देवेश चन्द्र ठाकुर के अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला के नाम पर गया कारा एवं अमर शहीद श्यामनंदन सिंह के नाम पर बक्सर कारा का नामांकन करने से संबंधित ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

2. माननीय सदस्य, श्री सच्चिदानन्द राय के सारण जिले में विद्युत आपूर्ति से संबंधित ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

3. माननीय सदस्य, श्री सोनेलाल मेहता के खगड़िया जिले के श्री जावेद एकबाल, सहायक उर्दू अनुवाद की पुत्री सबा की चिकित्सा पर खर्च की राशि के भुगतान से संबंधित ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

8. **वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर**
(पथ निर्माण, भवन निर्माण, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग)

वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए -

1. श्री चन्देश्वर प्रसाद
2. श्री लाल बाबू प्रसाद

आसन का नियमन

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपाकी कि बिना अनुमति के जो माननीय सदस्य बोलेंगे, उनकी बात कार्यवाही में नहीं आएगी।

3. श्री सुबोध कुमार
4. श्री संजय प्रसाद

(इस अवसर पर माननीय सभापति महोदय आसन ग्रहण किया।)

5. श्री हीरा प्रसाद बिन्द
6. डा. दिलीप कुमार चौधरी
7. श्री सोने लाल मेहता

विभागवार वाद-विवाद के उपरांत सरकार की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

(माननीय उप मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बीच में ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण उठकर सदन से बाहर चले गये।)

9. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री केदारनाथ पाण्डेय
2. डॉ. रामवचन राय
3. श्री मो. गुलाम रसूल
4. श्री दिलीप कुमार चौधरी
5. प्रो. संजय कुमार सिंह
6. श्री सतीश कुमार
7. श्रीमती मनोरमा देवी
8. श्री कृष्ण कुमार सिंह
9. प्रो. नवल किशोर यादव
10. श्री राधाचरण साह
11. श्री सोने लाल मेहता
12. श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता
13. श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा
14. श्री अर्जुन सहनी

माननीय सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक मंगलवार, दिनांक 21.3.2017 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

20/3/2017

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक
बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक- 373 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 20.3.2017

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, जनसंपर्क एवं सूचना विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार
20-03-2017

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक
बिहार विधान परिषद्